संख्या-17/2022/2186 /001-87-2018TC

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2022

विषयः- आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2022) के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41/345/योग पखवाडा/2022-23/योजना दिनांक 16-06-2022 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2022) के आयोजन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत कार्य संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रूपये 179.00 लाख (रूपये एक करोड उन्यासी लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-12-2021 एवं 07.06.2022 तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति की गयी है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,79,00,000 (रुपये एक करोड़ उनासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 033 **लेखा शीर्षक** 22100510106 02 योग पखवाड़ा एवं अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-17/2022/ 2186/001-87-2018TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) संबंधित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।